

फा. सं.13011 (5) /3/2022-डीपी-I

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

\*\*\*\*\*

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14 फरवरी, 2023

आदेश

**विषय: उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019-स्थापना में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में।**

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निदेशक (डीपी प्रभाग) को एतत् द्वारा विभाग में उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(शांतनु दीक्षित)

सहायक निदेशक (डीपी प्रभाग)

ई-मेल: [dixit.shantanu@nic.in](mailto:dixit.shantanu@nic.in)

सेवा में,

1. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव, एसजेई के वरिष्ठ पीपीएस।
3. संयुक्त सचिव (समाज रक्षा) के पीपीएस।
4. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड के माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सभी अधिकारी।